न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/19/2019

उनवान

1. श्रीमती राधा पत्नी भंवर लाल जाट निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नारायण पुत्र छोगा गुर्जर निवासी पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. गोपी आत्मज छोगा गुर्जर निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा
3. नानू आत्मज छोगा गुर्जर निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा
4. रतन लाल आत्मज छोगा गुर्जर निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्रीमती चम्पा पत्नी स्व0 छोगा गुर्जर निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
7. तहसीलदार, भीलवाडा
8. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) भीलवाडा के प्रकरण संख्या 55/2014 निर्णय दिनांक 18.9.2014

अधिवक्तागण :–

1. श्री पी आर चौधरी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर एन गुप्ता, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 8

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. श्री एम एल सेन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4
4.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा। प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में साबिक बन्दोबस्ती जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के अनुसार निम्न वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज भैरू पिता तेजा गुर्जर निवासी पुर के नाम पर खातेदारी अधिकार के रूप में ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाडा में अवस्थित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

साबिक आराजी नम्बर	रकबा
6264	5.00 बीघा

उक्त साबिक आराजी समरथ सिंह पिता मोती सिंह बौलिया के खातेदारी अधिकार की थी जिसे प्रार्थीगण के पूर्वज छोगा पिता भैरू ने विक्रय पत्र दिनांक 26.4.57 को 99/–रूपये में क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तथा उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया गया, छोगा की मृत्यु पर उसके पिता भैरू की मृत्यु से पूर्व हो जाने से उक्त भूमि भैरू पिता तेजा के नाम पर दर्ज हुई थी जो कि प्रार्थीगण के दादा थे, सेटलमेण्ट के पश्चात उक्त भूमि के नये नम्बर खसरा मिलान के अनुसार 6167 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा कायम कर भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज भैरू पिता तेजा के नाम पर दर्ज हुई जो कि भैरू पिता तेजा की मृत्यु के बाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण संख्या 1832 दिनांक 12.4.1985 को विरासत से प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हुई । जिसकी ताईद में जमाबंदी संवत 2041 से 2044 प्रस्तुत है।

2. उपरोक्त साबिक आराजी नम्बर 6264 का साबिक रकबा 5 बीघा था जिसे प्रार्थीगण के पिता ने खरीदी, भू प्रबन्ध के बाद उक्त भूमि का कन्वर्ट रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा कायम किया गया व नये नम्बर खसरा मिलान के अनुसार 6117 कायम किया गया जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हो चुकी थी। तत्पश्चात समरथ सिंह के वारिसान ने एक वाद पत्र राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा एवं प्रार्थीगण के पूर्वज भैरू पिता तेजा गुर्जर के विरूद्ध वर्ष 1983 में प्रस्तुत किया । जिसका निर्णय 4.4.86 को हुआ । जिसमें न्यायालय द्वारा समरथ सिंह की साबिक आराजी नम्बर 6231 का सम्पूर्ण रकबा हाल आराजी नम्बर 6117 में विलीन होना नक्शे व मौका के अनुसार माना गया। जिससे साबिक आराजी नम्बर 6231 का रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा का कन्वर्ट रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज भूमि वर्तमान आराजी नम्बर 6117 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा में से कम की जाकर समरथ सिंह के वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में अमल करने का आदेश प्रदान किया गया, जिसका अमल होकर समरथ सिंह के वारिसान के नाम पर दर्ज हो चुकी है, प्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान आराजी नम्बर 6117 में से 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि ही दर्ज रही, उक्त निर्णय प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय हुआ, जिसकी अपील की गई जो स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जो न्यायालय श्रीमान् के यहॉ प्रकरण संख्या 194/2009 राजस्व वाद विचाराधीन है।

3. प्रार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 6264 रकबा 5 बीघा क्रय सुदा भूमि है जिसका कन्वर्ट रकबा 4 बीघा 05

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा होता है जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज रहना चाहिये था किन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो खसरा मिलाना बनाया गया उसके अनुसार 6264 के हाल आराजी नम्बर 6117 कायम किया किया गया । जिसका रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा किया व हाल आराजी नम्बर 6117 का बट्टा नम्बर 9596/6117 रकबा 2 बीघा भूमि 6115 में मिला दिया गया, इस प्रकार प्रार्थीगण के नाम पर नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 6117 का रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा , 9596/6117 रकबा 2 बीघा व 6115 में से 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी क्योंकि मौके पर प्रार्थीगण का वर्षे से कब्जाकाश्त चला आ रहा है किन्तु सेटलमेण्ट विभाग की त्रुटि से प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में से 6117 के बट्टा नम्बर डालते हुए नया नम्बर 9596/6117 रकबा 02 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार जर्द किया व 19 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 04 के खाते में दर्ज कर दी जिससे राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

4. प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 5.8.2014 को मौके पर विपक्षीगण द्वारा पत्थर डालकर निर्माण करने पर आमादा हुए व राजस्व रेकार्ड की नकलें दिनांक 20.8.2014 को प्राप्त होने पर, वाद कारण दिनांक 5.8.2014 व 20.8.2014 से उत्पन्न होकर जारी है।

5. प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है चूंकि विवादग्रस्त आराजी नम्बर 9596/6117 रकबा 2 बीघा एवं 6116 में से 19 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण का 60 वर्षों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है किन्तु सेटलमेण्ट विभाग की गलती से उक्त भूमि बिना किसी आधार के प्रार्थीगण के खाते से हटा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर विपक्षीगण के खाते में मिला दी गई जिसका नाजायज फायदा उठाने के आशय से उक्त भूमि से प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर निर्माण कार्य करने एवं अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए तत्पर है, यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर निर्माण कर लिया गया या अन्य व्यक्तियों को अन्तरित कर देने की स्थिति में अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असंभव है एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पडेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित वर्तमान आराजी नम्बर 9596/6117 रकबा 2 बीघा एवं आराजी नम्बर 6115 में से रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि के उपयोग उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करे, न अन्य से करावें, मौके से बेदखलकर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, रहन–बय–बक्षीस के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को अन्तरित नहीं करें, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तक स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र दिनांक 15.9.2014 को पेश किया व अपीलार्थीया को बिना प्रकरण की तामील हुए व बिना सुने ही उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी अपीलार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी व साथ ही प्रकरण के सम्मन नोटिस मिलने के पश्चात पत्रावली में जवाब पेश किया गया, लेकिन एक भी पेशी पर कोई सुनवाई नहीं हुई व हर बार पीठासीन अधिकारी महोदय, राजकार्य में व्यस्त होने या वर्क संस्पेण्ड होने से बार–बार तारीख पेशी बदलती गई, दिनांक 20 जनवरी 2019 को प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपीलार्थीया के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी पैदा की व न्यायालय से स्थगन आदेश होने से जबरन बेदखल करने की धमकी दी, इस पर अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया व नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.1.2019 को पेश किया व दिनांक 23.1.2019 को नकल प्राप्त हुई । तब जाकर अपीलार्थीया ने अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम पुर के साबिक आराजी नम्बर 6264 रकबा 05 बीघा है, जिसका खातेदार भैरू पुत्र तेजा गुर्जर था, सेटलमेण्ट के दौरान नई जरीब के अनुसार कन्वर्टड रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा बनता है, साबिक आराजी नम्बर 6264 जिसके हाल आराजी नम्बर 6117 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है । जो संवत 2041 से 2044 की जमाबंदी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज था। यानि सेटलमेंण्ट के बाद में संवत 2041 से 2044 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज था, इस प्रकार प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र के कथनानुसार भी खसरा नम्बर 6264 का कन्वर्टेड रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा बनता है जो संवत 2041 से 2044 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज हो गया है, इस प्रकार आराजी नम्बर 6115 में 6117 का कोई रकबा मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आराजी नम्बर 6115 के साबिक नम्बर 6262 है।

10. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 6117 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा में न्यायालय की डिक्री से आराजी नम्बर 6117/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा जीवन सिंह, शम्भू सिंह पुत्र समरथ सिंह के नाम पर दर्ज कर दिया गया, जो इन्द्राज इन्तकाल नम्बर 1997 दिनांक 17.5.1998 के जरिये दर्ज की । उक्त वाद के प्रकरण संख्या 38/86 निर्णय दिनांक 4.4.1986 है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के यहॉ पेश की जो रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय के वहॉ जैर कार्यवाही है। जिसके प्रकरण संख्या 194/2009 हैं। इस प्रकार उक्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 ने पूर्व में वाद पेश कर रखा है। इसलिए कानूननी उसी आराजी के संबंध में नया प्रार्थना पत्र चलने येाग्य नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है।

11. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि इस प्रकार आराजी नम्बर 6117/1 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा एवं 6117 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर वर्तमान में दर्ज है। दोनों का कुलिया रकबा2 बीघा 05 बिस्वा बनता है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 अपीलार्थीया से किसी प्रकार प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा व खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन आदेश पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

12. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया है। 5 साल बाद भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/विपक्षीया द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण अंतिम बहस नहीं कर रहे हैं। मजबूर होकर अपीलार्थीया को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी पडी है।

13. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 का कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है व न ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में है। ग्राम पुर के साबिक आराजी नम्बर 6264 रकबा 5 बीघा है, जिसका खातेदार भैरू पुत्र तेजा गुर्जर था, सेटलमेण्ट के दौरान नई जरीब के अनुसार कन्वर्टड रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा बनता है, साबिक आराजी नम्बर 6264 जिसके हाल आराजी नम्बर 6117 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है । जो संवत 2041 से 2044 की जमाबंदी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज था। यानि सेटलमेंण्ट के बाद में संवत 2041 से 2044 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज था, इस प्रकार प्रार्थना पत्र के कथनानुसार भी 6264 का कन्वर्टेड रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा बनता है जो संवत 2041 से 2044 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज हो गया है, इस प्रकार आराजी नम्बर 6115 में 6117 का कोई रकबा मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आराजी नम्बर 6115 के साबिक नम्बर 6262 है। अपीलार्थीया ने आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6115 के साथ अन्य आराजी नम्बर 6114 एवं 6116 मुबारिक हुसैन, शरीफ हुसैन, बिलकस बानू, खातून बानू निवासी पुर से दिनांक 27.6.2005 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से ही बहैसियत मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को सुनवाई क अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

14. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 8 नगर परिषद भीलवाडा के विरूद्ध अनुतोष चाहा है व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 लैण्ड होल्टर है, जिनके विरूद्ध भी अनुतोष चाहा है जो कि आवश्यक पक्षकार है, जिनको धारा 80 जा0 दी0 एवं धारा 271 नगर परिषद अधिनियम के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो नहीं दिया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होते हुए भी स्थगन आदेश जारी किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

15. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र दिनांक 15.9.2014 को पेश किया व अपीलार्थीया को बिना प्रकरण की तामील हुए व बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया , जिसकी अपीलार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी व साथ ही प्रकरण के सम्मन नोटिस मिलने के पश्चात पत्रावली में जवाब पेश किया गया, लेकिन एक भी पेशी पर कोई सुनवाई नहीं हुई व हर बार पीठासीन अधिकारी महोदय, राजकार्य में व्यस्त होने या वर्क सस्पेंण्ड होने से बार–बार तारीख पेशी बदलती गई है। प्रकरण में जवाब दावा पेश होने के बाद किसी भी तारीख पेशी पर कोई आगामी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

16. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। जिस पर बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

17. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होन के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

18. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 19.9.2014 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को स्थगन प्रार्थना पत्र एकतरफा सुना जाकर अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.9.2014 को पारित किये जाने के बाद प्रकरण में कुल 29 आदेशिका दिनांक 22.2.2019 तक लिखी गई है परन्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो सकी है । 28 आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने अथवा वर्क सस्पेंड होने का अंकन किया जाकर आगामी तारीख पेशी दी गई है। लगभग 4 वर्ष 5 महीने की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लम्बी अवधि के अन्तराल में प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं पाई है।

19. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 /प्रार्थीगण को एकतरफा सुना जाकर अपीलाधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है । अपीलाण्ट को सुने बिना जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का अवलोकन किया गया । अन्तरिम आदेश में अपीलाण्ट की भूमि साबिक आराजी नम्बर 6264 से प्रभावित होने से प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का बिन्दु एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रतीत होने से विपक्षी/अपीलाण्ट के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत पाया गया है। विद्वान सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) भीलवाडा द्वारा प्रकरण का प्रथमदृष्टया विवेचन भी किया है परन्तु एकपक्षीय अन्तरिम आदेश होने से अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं परन्तु प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु इस आशय से रिमाण्ड करना उचित समझते हैं कि एक माह के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर गुणावगुण का विवेचन कर प्रकरण का निस्तारण करें।

20. न्यायालय हाजा में उभयपक्ष उपस्थित हो चुके हैं । उभयपक्ष की बहस अपीलाधीन मामले में सुनी गई है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरान्त कोई आगामी कार्यवाही नहीं हो पाई है ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर विस्तृत विवेचन कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 1 माह की अवधि में करें।

21. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर 1 माह की अवधि में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण विस्तृत विवेचन कर निस्तारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.5.19 को उपस्थित रहे।

22. निर्णय आज दिनांक 15.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा